रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3698] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940
No. 3698] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4862(अ)— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड' गांधीनगर जो कि गुजरात सरकार द्वारा गठित निकाय है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ख) स्थानीय निकायों से प्राप्त जमा;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सेंटेज;

(घ) जल आपूर्ति के लिए निर्धारित निकायों और किसानों से संग्रहीत जल प्रभार (गुजरात सरकार द्वारा निर्धारित दर);

(ड.) गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवर अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीत किराया; और

(च) उपर्युक्त (क) से (ड.) पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवर बोर्ड ,'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 48 /2018 फा. सं.300196/11/2017-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव